"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 429] रायपुर, बुधवार, दिनांक 18 सितम्बर 2013—भाद्र 27, शक 1935

वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 18 सितम्बर 2013

अधिसूचना

क्रमांक एफ-10/48/2013/वाक/पांच (62).—छत्तीसगढ़ स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1976 (क्रमांक 52 सन् 1976) की धारा 10 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद्द्वारा, नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट माल के वर्ग को कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट सीमा तक राजपत्र में प्रकाशन दिनांक से उक्त अधिनियम के अधीन कर के भुगतान से छूट प्रदान करती है :—

अनुसूची

स. क्र. (1)	वस्तुओं की श्रेणी (2)	छूट की सीमा (3)	शर्तें एवं निर्बन्धन (4)
1.	आयरन ओर पिलेट (ब्रिकेट)	संपूर्ण कर	जब ऐसे माल का निर्माण छत्तीसगढ़ में स्थित औद्योगिक इकाई द्वारा किया जाय तथा आयरन एवं स्टील के निर्माण में कच्चा माल के रूप में उपयोग हेतु राज्य के भीतर पंजीयत व्यवसायी द्वारा क्रय किया जाय तथा उससे निर्मित उत्पाद का विक्रय प्रांत के भीतर अथवा अंतर्राज्यीय व्यापार एवं वाणिज्य के अनुक्रम में अथवा भारत के बाहर निर्यात के अनुक्रम में किया जाय.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. पी. त्रिपाठी, संयुक्त सचिव.

रायपुर, दिनांक 18 सितम्बर 2013

क्रमांक एफ–10/48/2013/वाक/पांच (62).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ–10/48/2013/वाक/पांच (62), दिनांक 18–09–2013 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. पी. त्रिपाठी, संयुक्त सचिव.

Raipur, the 18th September 2013

NOTIFICATION

No. F-10/48/2013/CT/V (62).—In exercise of the powers conferred by section 10 of the Chhattisgarh Sthaniya Kshetra Me Mal Ke Pravesh Par Kar Adhiniyam, 1976 (No. 52 of 1976), the State Government hereby exempts the class of goods specified in column (2) of the Schedule below from payment of tax under the said act to the extent specified in column (3) with effect from the date of publication in the official gazette.

SCHEDULE

S. No.	Class of goods	Extent of Exemption	Restrictions and conditions
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Iron ore pellet (briquette)	Whole of tax	When such goods are manufactured by an Industrial Unit situated in Chhattisgarh and purchased by a dealer for use as raw material in the manufacture of iron & steel and such manufactured goods are sold within the state or in the course of interstate trade or commerce or in the course of export outside the terriory of India.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
A. P. TRIPATHI, Joint Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2013.